



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

फैक्स नं०. 0522-2286643
नं०. 0522-2287701

पत्र सं०: 1222 -मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2010-28-मा०सं०प्र०-02/2007

दिनांक : 31 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं०: 1772-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2001, दिनांक 31.07.2006 द्वारा गठित "स्क्रीनिंग समितियों" को निम्नानुसार पुर्नगठित किया जाता है :-

(क) उच्चाधिकारियों के लिये :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
- (2) निदेशक(तकनीकी)/(अभियन्ता एवं समकक्ष अन्य संवर्गों के अधिकारियों हेतु, लेखा शाखा के अतिरिक्त)/निदेशक(वित्त)(लेखा शाखा के अधिकारियों हेतु)।
- (3) मुख्य अभियन्ता(मानव संसाधन)

(ख) सहायक अभियन्ता एवं उनके समकक्ष स्तर तक के लिए संवर्क के अधिकारियों के लिये :-

- (1) निदेशक(तकनीकी)/(अभियन्ता एवं समकक्ष अन्य संवर्गों के अधिकारियों हेतु, लेखा शाखा के अतिरिक्त)/निदेशक(वित्त)(लेखा शाखा के अधिकारियों हेतु)।
- (2) मुख्य अभियन्ता(मानव संसाधन)
- (3) अधीक्षण अभियन्ता(मानव संसाधन-01)

तथा

उनकी अनुपलब्धता में अधीक्षण अभियन्ता(मानव संसाधन-03)

(ग) शेष कर्मचारियों के मामलों के परीक्षण हेतु विभिन्न नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर से समितियाँ गठित करेंगे, जिनमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- (1) नियुक्ति अधिकारी
- (2) नियुक्ति अधिकारी द्वारा नामित दो अन्य अधिकारी

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं०: 1222-(1)-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2010, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
- (2) निदेशक (कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (3) मुख्य अभियन्ता(स्तर- I), पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (4) मुख्य अभियन्ता(स्तर- I/ II), ओबरा/अनपरा/परीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा(सोनभद्र)/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।

कमश:2

Pm, Pragati
Pl. put it on
website
7/9
11/10
11/10
11/10

:: 2 ::

- (5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (6) महा प्रबन्धक(लेखा)/ (सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (6) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (7) मुख्य अभियन्ता(मा०सं०)/ (पर्यावरण एवं सुरक्षा)/ (जानपद)/ (आर० एण्ड एम०)/ (ईधन)/ (वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (8) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-01/02/03/04/05/06/ चिकित्सा/ रिफार्म/ प्रशिक्षण/ टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (9) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (10) समस्त उप सचिव/ अधिशासी अभियन्ता/ अनुसचिव/ अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी/ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी कार्मिक अधिकारी/ लेखाधिकारी(वे० एवं ले०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (11) कट फाइल ।

आज्ञा से,

dsms

(एम० डी० मिश्र)

अनु सचिव

10